

(ई-मेल एवं व्हाट्स एप्प से भी प्रेषित)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल।

पत्रांक 765

दिनांक 31.05.2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल।

सेवा में,

Vijay Kumar Singh,
At – Vill+P.O - Ibrahimpur Parsauni ,
P.S – Phenhara, Distt - East Champaran
Mo. No. 9471296790
Aggrement No. 93 S.B.D Year 2018-19
Reg. No. 2163273

विषय:-

NABARD अन्तर्गत Teusa Madhurapur Chowk to Chakarpeta via
Matharwa पथ में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं करने के संबंध में।

प्रसंग:-

इस कार्यालय के पत्रांक 1393 दिनांक 15.10.2020, पत्रांक 1631 दिनांक 22.12.2020, पत्रांक 283 दिनांक 26.02.2021, पत्रांक 290 दिनांक 26.02.2021, पत्रांक 351 दिनांक 08.03.2021, पत्रांक 400 दिनांक 15.03.2021

महाशय

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्रों के संबंध में काफी खेद के साथ पुनः स्मारित करना है कि इस कार्यालय के विभिन्न कार्यालय आदेश एवं अनेको बार दूरभाष पर तथा मौखिक रूप से भी अनुरक्षण कार्य कराने हेतु निदेश दिया जाता रहा है, परन्तु आपके द्वारा NABARD अन्तर्गत Teusa Madhurapur Chowk to Chakarpeta via Matharwa पथ में वार्षिक अनुरक्षण कार्य कराने में गंभीरता नहीं दिखाई गई। आपके इस स्वेच्छारिता के कारण सरकार द्वारा राशि प्रदत्त करने के बावजूद भी आम आवाम को कष्ट उठाना पड़ रहा है।

अतः तीन दिनों के अन्दर हर हाल में अनुरक्षण कार्य पूर्ण कराते हुए इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे कि अनेको स्मार पत्र, मौखिक एवं दूरभाष पर दिये गए निदेश के बावजूद अब तक अनुरक्षण कार्य क्यों नहीं पूर्ण किया गया। इस संबंध में स्पष्टीकरण अप्राप्त या अस्वीकार्यता की स्थिति में एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं Clause Of Contract के Clause -3 के तहत Defect Libility Period के नोटिश के बाद भी पथ का अनुरक्षण कार्य नहीं कराये जाने के कारण आपके एकरारनामा को विखंडित करते हुए आपके निबंधन को काली सूची में डालने की कारवाई की जाएगी एवं आपके जमानत की राशि को जब्त करते हुए उस राशि से अनुरक्षण का कार्य कराया जाएगा।

इसे अति गंभीरता से लेंगे।

विश्वासभाजन,

Vijay Kumar Singh
31/5/21
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल।